भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1088

जिसका उत्तर शुक्रवार, 3 दिसम्बर, 2021/12 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों के उत्पादन एवं वितरण हेतु राजसहायता

1088. श्री सौमित्र खान:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): क्या सरकार के पास पिछले तीन वर्षों में देश में उर्वरकों के उत्पादन और वितरण के लिए राज्यों को दी गई कुल राजसहायता और उत्पादन सहायता के संबंध में कोई आंकड़े हैं;

(ख): यदि हां, तो विशेषकर पश्चिम बंगाल सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग): क्या सरकार के पास घरेलू उपभोग हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों के आयात संबंधी आंकड़े हैं;

(घ): यदि हां, तो विशेषकर पश्चिम बंगाल सहित इसके वितरण संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ड.): क्या सरकार का देश में जैव उर्वरकों के उत्पादन और उपभोग में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च): यदि हां, तो इस संबंध में क्या पहल की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री

(मनसुख मांडविया)

(क) एवं (ख): जी हां, स्वदेशी यूरिया तथा पीएण्डके उर्वरकों हेतु राजसहायता संबंधी आंकड़े **'अनुलग्नक-क'** के रूप में संलग्न किए गए हैं।

(ग) एवं (घ): जी हां, विगत तीन वर्षों हेतु उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एमओपी एवं एनपीके) के आयात के संबंध में आंकड़े **'अनुलग्नक-ख'** के रूप में संलग्न हैं। वर्ष 2018-2019, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान सभी राज्यों (पश्चिम बंगाल सहित) को उर्वरकों (आयातित एवं विनिर्मित) की मात्रा के संबंध में ब्यौरा **'अनुलग्नक ग'** के रूप में संलग्न है।

(ड.) एवं (च): जी हां, देश में जैव उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निजी उद्यमियों/एफपीओ को पूंजीगत निवेश राजसहायता स्कीम (सीआईएसएस) के तहत जैव-उर्वरक उत्पादन यूनिट [200 टन प्रतिवर्ष (टीपीए) क्षमता] की स्थापना के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से 40 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक कुल लागत की 25% क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है।

मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम) के तहत, राज्य सरकारों को भारत सरकार तथा राज्य सरकार के बीच 60:40 के शेयर के आधार पर जैव-उर्वरक उत्पादन यूनिट की स्थापना के लिए 160 लाख रुपए प्रति यूनिट (200 मीट्रिक टन क्षमता) तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

सरकार वर्ष 2015-16 से देश में समर्पित योजनाओं नामतः परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) तथा मिशन आर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ इस्टर्न रीजन (एमओवीसीडीएनईआर) के माध्यम से ऑर्गेनिक खेती के तहत जैव-उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है। जैव-उर्वरकों को एकीकृत पोषक-तत्व प्रबंधन (आईएनएम) के माध्यम से भी बढ़ावा दिया जाता है तथा इन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित पद्धतियों के पैकेज का अभिन्न हिस्सा बनाया जाता है।

******

अनुलग्नक- क

स्वदेशी यूरिया विनिर्माण कंपनियों को राजसहायता का भुगतान	
वर्ष	भुगतान की गई राजसहायता
2018-19	32189.50 करोड़ रुपए
2019-20	43050.00 करोड़ रुपए
2020-21	68807.41 करोड़ रुपए

** स्वदेशी यूरिया विनिर्माण कंपनियों को दी गई राजसहायता संबंधी राज्य–वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

पीएण्डके उर्वरकों के संबंध में राजसहायता का भुगतान	
वर्ष	भुगतान की गई राजसहायता
2018-19	24090.35 करोड़ रुपए
2019-20	26368.85 करोड़ रुपए
2020-21	37372.47 करोड़ रुपए

** पीएण्डके उर्वरकों के संबंध में दी गई राजसहायता के राज्य–वार आंकड़े नीचे दिये गये हैं।

-5-

वित्तीय वर्ष : 2018-2019

राज्य-वार संभावित डीबीटी व्यय रिपोर्ट

क्रम. सं.	राज्य	एनपीकेएस (स्वदेशी)	एनपीकेएस (आयातित)	एसएसपी
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	878.34	292.37	28.05
3	असम	46.59	51.43	25.11
4	बिहार	194.87	155.55	10.81
5	छत्तीसगढ़	207.74	91.69	39.11
6	दादरा और नगर हवेली	0.07	0	0
7	दिल्ली	0.58	2.03	0.05
8	गोवा	3.5	0.32	0
9	गुजरात	354.17	202.21	9.83
10	हरियाणा	76.09	304.96	41.75
11	हिमाचल प्रदेश	14.09	1.17	0.27
12	जम्मू और कश्मीर	4.38	22.24	0
13	झारखंड	36.74	15.67	0.72
14	कर्नाटक	796.05	290	4.08
15	केरल	36.9	48.84	0.05
16	मध्य प्रदेश	275.98	457.05	222.64
17	महाराष्ट्र	1357.66	336.73	172.71
18	मणिपुर	0	0.16	0.58
19	मिजोरम	0	0	0.13
20	नागालैंड	0.03	0	0
21	ओडिशा	222.21	61.77	2.49
22	पुदुचेरी	2.32	1.01	0.01
23	पंजाब	106.49	242.01	21.92
24	राजस्थान	148.88	357.8	87.03
25	तमिलनाडु	240.32	144.36	6.58
26	तेलंगाना	644.76	125.38	4.88
27	त्रिपुरा	0.03	0.05	0.02
28	उत्तराखंड	40.02	10.21	2.51
29	उत्तर प्रदेश	490.64	355.61	62.87
30	पश्चिम बंगाल	379.16	81.99	55.22
	कुल	**6558.61**	**3652.61**	**799.42**

 # सभी आंकड़े करोड़ में

**** इन आंकड़ों में गैर-डीबीटी भुगतान, मालभाड़े का भुगतान तथा किसी अनुपूरक भुगतान को शामिल नहीं किया गया है।**

वित्तीय वर्ष : 2019-2020

राज्य-वार संभावित डीबीटी व्यय रिपोर्ट

क्रम. सं.	राज्य	एनपीकेएस (स्वदेशी)	एनपीकेएस (आयातित)	एसएसपी
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	1198.35	291.89	61.83
3	असम	66.69	57.18	25.14
4	बिहार	478.5	568.29	17.44
5	छत्तीसगढ़	251.92	265.28	62.46
6	दादरा और नगर हवेली	0.33	0	0
7	दिल्ली	0.47	3.51	0
8	गोवा	3.45	0.41	0
9	गुजरात	711.68	312.3	35.68
10	हरियाणा	89.35	562.27	48.35
11	हिमाचल प्रदेश	27.94	5.17	0.87
12	जम्मू और कश्मीर	10.99	42.33	0
13	झारखंड	78.27	29.77	0.69
14	कर्नाटक	1319.79	396.07	15.82
15	केरल	108.62	79.21	0.41
16	मध्य प्रदेश	601.63	1057.03	309.92
17	महाराष्ट्र	1679.56	651.89	269.22
18	मणिपुर	2.84	0.54	1.66
19	मिजोरम	0.32	0.1	0.1
20	नागालैंड	0.19	0	0
21	ओडिशा	365.29	114.84	3.76
22	पुदुचेरी	5.63	0.94	0.23
23	पंजाब	202.73	638.56	32.79
24	राजस्थान	255.79	700.13	147.44
25	तमिलनाडु	581.12	279.59	21.17
26	तेलंगाना	930.57	186.93	10.68
27	त्रिपुरा	2.91	3.84	3.45
28	उत्तराखंड	43.29	21.01	3.15
29	उत्तर प्रदेश	1371.92	1539.63	129.9
30	पश्चिम बंगाल	993.17	217.34	89.92
कुल		**11383.31**	**8026.05**	**1292.08**

 # सभी आंकड़े करोड़ में

**** इन आंकड़ों में गैर-डीबीटी भुगतान, मालभाड़े का भुगतान तथा किसी अनुपूरक भुगतान को शामिल नहीं किया गया है।**

वित्तीय वर्ष : 2020-2021

राज्य-वार संभावित डीबीटी व्यय रिपोर्ट

क्रम. सं.	राज्य	एनपीकेएस (स्वदेशी)	एनपीकेएस (आयातित)	एसएसपी
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	1923.06	568.27	62.34
3	असम	102.8	78.48	33.3
4	बिहार	815.03	1107.77	26.96
5	छत्तीसगढ़	327.15	369.66	70.2
6	दादरा और नगर हवेली	0.96	0	0
7	दिल्ली	0.77	6.02	0
8	गोवा	3.53	0.9	0
9	गुजरात	1115.31	528.44	56.41
10	हरियाणा	148.54	825.99	42.3
11	हिमाचल प्रदेश	43	9.14	1.45
12	जम्मू और कश्मीर	42.3	77.35	0
13	झारखंड	106.48	67.92	1.36
14	कर्नाटक	2014.41	664.38	17.57
15	केरल	130.32	107.49	0.43
16	मध्य प्रदेश	783.95	2077.01	339.2
17	महाराष्ट्र	2671.83	1196.9	322.11
18	मणिपुर	7.34	2.26	1.39
19	मिजोरम	0.27	0	0.06
20	नागालैंड	0.11	0	0
21	ओडिशा	496.9	150.71	4.67
22	पुदुचेरी	9.14	2.01	0.19
23	पंजाब	200.83	1056.94	33.91
24	राजस्थान	292.71	1013.61	140.99
25	तमिलनाडु	821.25	442.45	22.07
26	तेलंगाना	1501.67	487.16	18.98
27	त्रिपुरा	4.78	7.76	7.29
28	उत्तराखंड	60.16	36.04	3.66
29	उत्तर प्रदेश	1885.39	2619.54	139.25
30	पश्चिम बंगाल	1834.31	383.71	124.49
कुल		**17344.3**	**13887.91**	**1470.58**

 # सभी आंकड़े करोड़ में

**** इन आंकड़ों में गैर-डीबीटी भुगतान, मालभाड़े का भुगतान तथा किसी अनुपूरक भुगतान को शामिल नहीं किया गया है।**

अनुलग्नक- ख

2018-19 से 2020-21 तक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एमओपी तथा एनपीके) का आयात				
				मात्रा लाख मी.टन में
वर्ष	यूरिया	डीएपी	एमओपी	एनपीके
2018-19	74.81	66.02	42.14	5.46
2019-20	91.23	48.70	36.70	7.46
2020-21	98.28	48.82	42.27	13.90

अनुलग्नक-ग

वर्ष 2018-19 हेतु उर्वरक की उपलब्धता

<आंकड़े लाख मी.टन में>

वर्ष 2018-19		यूरिया	डीएपी	एमओपी	एनपीकेएस
क्रम.सं.	राज्य का नाम	उपलब्धता	उपलब्धता	उपलब्धता	उपलब्धता
1	2		3	4	5
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.01	0.00	0.00	0.01
2	आंध्र प्रदेश	16.79	4.11	3.01	15.06
3	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	5.15	0.93	1.11	0.23
5	बिहार	25.59	8.50	2.97	4.53
6	चंडीगढ़	0.05	0.00	0.00	0.05
7	छत्तीसगढ़	10.94	5.49	1.36	1.74
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.23	0.05	0.01	0.00
11	गोवा	0.02	0.02	0.01	0.03
12	गुजरात	23.18	6.32	1.63	8.19
13	हरियाणा	24.99	6.93	1.05	0.57
14	हिमाचल प्रदेश	0.85	0.01	0.11	0.45
15	जम्मू और कश्मीर	1.89	0.81	0.44	0.02
16	झारखंड	2.81	1.000.05	0.46	0.51
17	कर्नाटक	16.76	7.44	8.75	19.00
18	केरल	1.22	0.27	1.11	1.57
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	34.36	16.87	1.58	5.39
21	महाराष्ट्र	27.75	8.58	5.24	31.05
22	मणिपुर	0.3	0.01	0.00	0.00
23	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.15	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.01	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	6.38	2.42	1.66	3.32
27	पुदुचेरी	0.15	0.01	0.02	0.05
28	पंजाब	34.62	8.84	0.96	0.76
29	राजस्थान	**24.22**	**8.41**	**0.48**	**1.30**
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	10.92	3.28	3.50	7.57
32	तेलंगाना	16.87	3.08	1.77	14.65
33	त्रिपुरा	0.34	0.05	0.07	0.01
34	उत्तराखंड	3.00	0.40	0.08	0.42
35	उत्तर प्रदेश	73.89	23.69	2.66	8.59
36	पश्चिम बंगाल	16.18	4.19	3.56	13.12
	कुल	**379.62**	**121.67**	**38.21**	**138.16**

वर्ष 2019-20 हेतु उर्वरक की उपलब्धता					
			<आंकड़े लाख मी.टन में>		
वर्ष 2019-20		यूरिया	डीएपी	एमओपी	एनपीकेएस
क्रम.सं.	राज्य का नाम	उपलब्धता	उपलब्धता	उपलब्धता	उपलब्धता
1	2	3	4	5	6
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.01	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	17.52	4.72	3.18	17.83
3	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	4.26	0.93	1.06	0.24
5	बिहार	26.21	9.49	3.20	4.97
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	10.71	5.27	1.32	1.60
8	दादरा और नगर हवेली	0.01	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.28	0.05	0.01	0.00
11	गोवा	0.02	0.00	0.01	0.04
12	गुजरात	25.68	6.98	1.72	9.03
13	हरियाणा	23.61	7.44	1.06	0.40
14	हिमाचल प्रदेश	0.85	0.02	0.12	0.47
15	जम्मू और कश्मीर	2.12	0.94	0.54	0.02
16	झारखंड	2.97	1.14	0.06	0.51
17	कर्नाटक	17.74	7.91	3.63	20.28
18	केरल	1.34	0.20	1.07	1.64
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	34.25	18.62	1.71	5.35
21	महाराष्ट्र	28.20	8.55	4.62	30.54
22	मणिपुर	0.29	0.07	0.02	0.00
23	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.09	0.01	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.01	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	6.72	2.62	1.69	3.58
27	पुदुचेरी	0.12	0.01	0.02	0.09
28	पंजाब	33.96	9.29	1.10	0.56
29	राजस्थान	**26.47**	**10.54**	**0.46**	**1.01**
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	10.37	3.37	3.21	8.35
32	तेलंगाना	19.21	3.34	2.26	16.26
33	त्रिपुरा	0.29	0.07	0.12	0.02
34	उत्तराखंड	2.69	0.58	0.12	0.36
35	उत्तर प्रदेश	83.29	30.10	3.59	8.40
36	पश्चिम बंगाल	15.89	4.47	3.56	13.10
	कुल	**395.16**	**136.75**	**39.44**	**144.66**

वर्ष 2020-21 हेतु उर्वरक की उपलब्धता

<आंकड़े लाख मी.टन में>

क्रम.सं.	वर्ष 2020-21 राज्य का नाम	यूरिया उपलब्धता	डीएपी उपलब्धता	एमओपी उपलब्धता	एनपीकेएस उपलब्धता
1	2	3	4	5	6
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.01	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	18.84	4.66	3.60	19.78
3	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	4.11	0.92	0.99	0.17
5	बिहार	26.21	8.93	3.44	4.58
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	11.08	5.42	1.52	1.72
8	दादरा और नगर हवेली	0.01	0.01	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.24	0.04	0.01	0.00
11	गोवा	0.03	0.00	0.01	0.04
12	गुजरात	26.22	7.02	1.70	9.48
13	हरियाणा	23.64	6.86	1.98	0.35
14	हिमाचल प्रदेश	0.88	0.02	0.12	0.45
15	जम्मू और कश्मीर	2.58	0.93	0.60	0.04
16	झारखंड	3.07	1.27	0.07	0.44
17	कर्नाटक	20.62	7.97	4.57	23.28
18	केरल	1.51	0.22	1.28	1.72
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	34.73	18.04	2.03	4.85
21	महाराष्ट्र	29.76	9.44	5.43	35.89
22	मणिपुर	0.24	0.06	0.03	0.00
23	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.02	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.01	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	6.66	2.82	1.81	3.26
27	पुदुचेरी	0.15	0.01	0.03	0.11
28	पंजाब	32.85	8.87	1.21	0.47
29	राजस्थान	**25.78**	**9.72**	**0.46**	**0.76**
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	11.58	0.07	3.88	9.08
32	तेलंगाना	22.2	3.62	3.00	18.38
33	त्रिपुरा	0.25	0.07	0.07	0.02
34	उत्तराखंड	2.57	0.46	0.11	0.34
35	उत्तर प्रदेश	84.55	29.02	3.74	8.20
36	पश्चिम बंगाल	16.08	4.48	3.89	13.16
	कुल	406.89	133.89	44.56	156.55

****